



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06052022-235526
CG-MH-E-06052022-235526

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2022/वैशाख 14, 1944

No. 235]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2022/VAISAKHA 14, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 4 मई, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/83.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में,-

I. अनुसूची-II में, पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा आ जाएगा:

"4. प्राइवेट प्लेसमेंट (निजी स्थानन) वाले अवसंरचना निवेश न्यास (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) के संबंध में, अवसंरचना निवेश न्यास, बोर्ड के पास ड्राफ्ट प्लेसमेंट मेमोरैंडम (प्रारूप स्थानन ज्ञापन) या

प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) [जो भी लागू हो] दाखिल करते समय, फाइलिंग फीस (दाखिल किए जाने संबंधी फीस) [जो लौटाई नहीं जाएगी] के तौर पर:

क. आरंभिक प्रस्ताव (ऑफर) के मामले में निर्गम (इश्यू) के कुल आकार [जिसमें ग्रीन शू विकल्प (ऑप्शन), यदि कोई हो, शामिल है] का 0.1%; और

ख. साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) के मामले में निर्गम (इश्यू) के कुल आकार [जिसमें ग्रीन शू विकल्प (ऑप्शन), यदि कोई हो, शामिल है] का 0.05%,

अदा करेगा।"

माधवी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./59/2022-23]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2014-15/10/1577 द्वारा, 26 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
 2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, तत्पश्चात्-
 - (i) 30 नवम्बर, 2016 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/021, द्वारा
 - (ii) 15 दिसम्बर, 2017 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/024, द्वारा
 - (iii) 10 अप्रैल, 2018 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2018 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/07, द्वारा
 - (iv) 22 अप्रैल, 2019 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2019 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/10, द्वारा
 - (v) 2 मार्च, 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2020 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/05, द्वारा
 - (vi) 17 अप्रैल 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
 - (vii) 16 जून, 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/15, द्वारा
 - (viii) 30 जुलाई, 2021 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/27, द्वारा
 - (ix) 31 अगस्त, 2021 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा;
- संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 4th May, 2022

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
(INFRASTRUCTURE INVESTMENT TRUSTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/83.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, –

I. In Schedule II, paragraph 4 shall be substituted with the following:

“4. With respect to privately placed InvIT, the InvIT shall pay non-refundable filing fees of:

i. 0.1% in case of initial offer; and

ii. 0.05% in case of rights issue,

of the total issue size including green shoe option, if any, at the time of filing of draft placement memorandum or letter of offer, as applicable, with the Board;”

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./59/2022-23]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was published in the Gazette of India on September 26, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/10/1577.
2. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was subsequently amended by the –
 - (i) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2016, vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/021, with effect from November 30, 2016.
 - (ii) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2017, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/024, with effect from December 15, 2017.
 - (iii) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2018, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/07, with effect from April 10, 2018.
 - (iv) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2019, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/10, with effect from April 22, 2019.

- (v) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/05, with effect from March 02, 2020.
- (vi) Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10, with effect from April 17, 2020.
- (vii) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/15, with effect from June 16, 2020.
- (viii) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/27, with effect from July 30, 2021.
- (ix) Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30, with effect from August 31, 2021.